



प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 10.03.2026



सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में
दोषी पाये गये आरोपी को दी गई सश्रम आजीवन कारावास की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे '#Operation Conviction' अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को माननीय एस0जे0 सोनभद्र द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: मांची, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0:- 24/2022

धारा:- 302, 201 भादवि

अभियुक्त:-राज बहादुर उर्फ मंगरु चैरो पुत्र बंशी चैरो निवासी सोमा थाना मांची जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-

धारा 302 IPC में

- सश्रम आजीवन कारावास
- ₹10,000/- का अर्थदण्ड

धारा 201 IPC में

- 03 वर्ष के सश्रम कारावास
- ₹2,000/- का अर्थदण्ड

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-

इस केस में थाना मांची पुलिस, कोर्ट मोहरीर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।